प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 12 सितम्बर, 2022

विषय:- प्रदेश की कारागारों से कारागार मुख्यालय के मध्य होने वाली वर्चुअल समीक्षा बैठकों के लिए मल्टी कान्फ्रेंस यूनिट की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-12431/आधु0-01/म0का0यू0/2022, दिनांक-13 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या-19025/आधु-1/म0का0यू0/2021-22, दिनांक-14 जून, 2022 एवं शासनादेश संख्या-43/2022/1358/22-4-2021-48(41)/2021, दिनांक-24 मार्च, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश दिनांक-24 मार्च, 2022 द्वारा जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु प्रदेश की कारागारों, परिक्षेत्रीय कार्यालयों से कारागार मुख्यालय के मध्य होने वाली वर्चुअल समीक्षा बैठकों हेतु मल्टी कान्फ्रेंस यूनिट की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि रू0 80.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। कारागार मुख्यालय की सूचनानुसार विगत वर्ष इस हेतु स्वीकृत रू0 80.00 लाख की धनराशि का व्यय न होने के कारण दिनांक-31.03.2022 को समपर्ति कर दी गयी।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया प्रदेश की कारागारों से कारागार मुख्यालय के मध्य होने वाली वर्चुअल समीक्षा बैठकों हेतु मल्टी कान्फ्रेन्स यूनिट की व्यवस्था जैम पोर्टल के माध्यम से कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-43/2022/1358/22-4-2021-48(41)/2021, दिनांक-24 मार्च, 2022 द्वारा प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्नवत् विवरणानुसार व्यय हेतु रू0 80,00,000/-(रूपया अस्सी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करतीं हैं:-

| क्र0 | सामग्री/उपकरण का नाम | संख्या | दर प्रति | अनुमानित कुल लागत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मल्टी कन्ट्रोल यूनिट, (मीटिंग सर्वर (डेस्कटॉप कम्प्यूटर), वेब ऐप, मीटिंग मैनेजमेंट सोलूयश न व अन्य साफटवेयर) | 01 | 5416790 | 5416790 |
| 2 | वीडियो कान्फ्रेन्सिंग इण्ड प्वाइंट फॉर हेड क्वार्टर | 01 | 1148549 | 1148549 |
| 3 | 55 इंच के 4 पैनल का डिसप्ले यूनिट | 01 | 1171200 | 1171200 |
| 4 | 6 केवीए ऑनलाइन यूपीएस विद बैट्री बैंक | 01 | 207385 | 207385 |
| 5 | इन्सटालेशन एण्ड कमीश निंग पर व्यय | - | 53100 | 53100 |
| योग- | | | | 79,97,024.00<br>अर्थात<br>80.00 लाख रूपये |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों**

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार किया जायेगा।

(2) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है । स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणो की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो ।

(3) क्रय किये जाने वाले उपकरणो की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई/ महानिरीक्षक, कारागार पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे उपकरणो की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो ।

(4) उपकरणो के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तसर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्य उपकरणो का क्रय न किया जाय ।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दि0 31-3-2023 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा|

(6) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा विवरणानुसार कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) महानिरीक्षक, कारागार यह सुनिश्चित हो लेंगे कि शासनादेश दिनांक-24.03.2022 द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित नहीं की गयी है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 80,00,000 ( रुपये अस्सी लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001400 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या: E-12-90-X-2022-23, दिनांक-08-09-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

**संख्या-108/2022/909/001-22-4-2022-48-41-2021, तद् दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-**

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय साख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in